संख्या-864/2023/5433/41-2023-18(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक::17 नवम्बर, 2023

विषयः जनपद महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के सन्निकट पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-8523/6-1-1 (लैण्ड बैंक-2)/2022-23 दिनांक 13 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के सन्निकट पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मा० मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उत्तर प्रदेश में लगभग 16620 वर्ग कि०मी० के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुन्दर परिदृश्य, वन-विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुन्दर झरनों और बड़ी संख्या में लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश के 11 वन्य जीव विहार में से एक सोहगीबरवा वन्य जीव विहार है तथा उत्तर प्रदेश में बाघों के आवासों में से एक है। सोहगीबरवा से लेकर बखिरा तक फैले वन्य जीव विहार में टाईगर, पेंथर, चीतल, जंगली बिल्लियां, सांभर, हिरन आदि जीव पाये जाते हैं। सोहगीबरवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महराजगंज जिले में है, जो 428.02 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला है तथा गन्डकी नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। नेपाल सीमा के इस प्रमुख वन्य जीव विहार को पर्यटन के रूप में विकसित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना प्रस्तावित है। सोहगीबरवा वन क्षेत्र को 07 वन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात पकड़ी, मधवालिया, लक्ष्मीपुर, उत्तरी चौक, दक्षिणी चौक, सियोपुर और निचलौल पर्वतमाला में 21 घास के मैदान हैं, अभयारण्य बाघों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। अभयारण्य का भूभाग ज्यादातर समतल है, जिसकी औसत उँचाई 100 मीटर है। पूरे वर्ष जलवायु समशीतोष्ण और हल्की होती है। सोहगीबरवा की आर्द्रभूमि विदेशी पक्षियों का बसेरा भी है। यह सैलानियों और पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

3- जनपद महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के सन्निकट पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि के प्रस्ताव के क्रम में जिलाधिकारी, महराजगंज ने अपने पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामचन्द्रही में लगभग 15 एकड़ सीलिंग की भूमि उपलब्ध है, जो इको-टूरिज्म के लिए उपयुक्त है। इको टूरिज्म हेतु चिन्हित भूमि गाटा संख्या-309 में 1.702 हे0, 310 में 0.334 हे0, 311 में 2.500 हे0, 300 में 0.559 हे0, 274 में 1.000 हे0, कुल 6.095 हे0 अर्थात 15 एकड़ है। उक्त स्थल पर पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन-स्तर का भी उन्नयन होगा।

4- उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामचन्द्रही में लगभग 15 एकड़ सीलिंग की भूमि इको टूरिज्म हेतु उपलब्ध है। उक्त भूमि का गाटा संख्या-309 में 1.702 हे0, 310 में 0.334 हे0, 311 में 2.500 हे0, 300 में 0.559 हे0, 274 में 1.000 हे0 कुल 6.095 हे० अर्थात 15 एकड़

भूमि है, को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जाना है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के सन्निकट पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मा० मंत्रि-परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क) जनपद महराजगंज के तहसील निचलौल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामचन्द्रही में लगभग 15 एकड़ सीलिंग की भूमि इको टूरिज्म हेतु उपलब्ध है। उक्त भूमि का गाटा संख्या-309 में 1.702 हे0, 310 में 0.334 हे0, 311 में 2.500 हे0, 300 में 0.559 हे0, 274 में 1.000 है० कुल 6.095 हे० अर्थात 15 एकड़ भूमि को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्त एवं प्रतिबन्ध का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगाः-

(1) समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि कराने का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा। पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रस्तावित भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखो की पुष्टि कराने के उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(2) इस संबंध में प्रचलित सुसंगत नियमों/विधिक नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
4- निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7- जिलाधिकारी, महराजगंज।
8- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर मण्डल।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।